

श्री कुणाल सिल्कू, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता मे एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स व अन्य बिन्दुओ पर आयोजित समीक्षा बैठक दिनांक 19.07.2017 की कार्यवृत्तः-

उपस्थिति-

1. सर्वश्री कुणाल सिल्कू	जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।
2. श्री अनिल कुमार मिश्र	मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
3. „ प्रमोद शंकर शुक्ला	अपर जिलाधिकारी, (वि./रा.), सिद्धार्थनगर।
4. " अरविन्द मिश्र	अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर।
5. डा0 राजेन्द्र कपूर	मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर।
6. „ एस0पी0 सिंह	जिला होम्यो चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर।
7. श्री सुदामा प्रसाद	जिला विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
8. „ सन्त कुमार	परियोजना निदेशक, सिद्धार्थनगर।
9. डा. महेन्द्र कुमार मीणा	उपजिलाधिकारी नौगढ़।
10. श्री प्रबुद्ध सिंह	उपजिलाधिकारी बांसी।
11. „ सत्य प्रकाश सिंह,	उपजिलाधिकारी शोहरतगढ़।
12. „ जुबेर बेग	उपजिलाधिकारी इटवा।
13. „ राजेन्द्र प्रसाद	उपजिलाधिकारी, डुमरियागंज।
14. „ अनिल कुमार सिंह	जिला पंचायत राज अधिकारी सिद्धार्थनगर।
15. " राजेश सिंह	एस0एल0ए0ओ0, सिद्धार्थनगर।
16. " मनीराम सिंह	बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर।
17. " उमेश चन्द्र तिवारी	उपायुक्त मनरेगा सिद्धार्थनगर।
18. „ एस0के0 ओझा	अधि. अभि., विद्युत, सिद्धार्थनगर।
19. " आर0बी0 शर्मा	अधि. अभि., विद्युत, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
20. " रविशंकर यादव	सहायक अभियन्ता, ड्रेनेज खण्ड, सिद्धार्थनगर।
21. „ ओम प्रकाश अजोर	बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सिद्धार्थनगर।
22. डा0 आर0बी0	जिला विद्यालय निरीक्षक, सिद्धार्थनगर।
23. " मदन मोहन वर्मा	तहसीलदार नौगढ़।
24. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।
25. " संतोष कुमार सिंह	तहसीलदार डुमरियागंज।
26. " मेवालाल	तहसीलदार इटवा।
27. „ मंजूर अहमद	तहसीलदार शोहरतगढ़।
28. " सी.पी. गुप्ता	अधि. अभि., लो.नि.वि. प्रा.खण्ड सिद्धार्थनगर।
29. " भूपेश मणि त्रिपाठी	अधि. अभि., पी.डब्लू.डी. निर्माण खण्ड-1, बांसी।
30. „ गुलाब सिंह	बी0डी0ओ0 नौगढ़।
31. „ ओ0पी0 दूबे	बी0डी0ओ0 बांसी।
32. „ अशोक कुमार दूबे	बी0डी0ओ0 इटवा/भनवापुर।
33. „ विवेक मणि त्रिपाठी	विकास खण्ड-उसका बाजार।
34. „ विद्यामणि त्रिपाठी	बी0डी0ओ0 जोगिया।
35. " राजेश कुमार जायसवाल	तहसीलदार बांसी।

36. „ अजय कुमार त्रिपाठी	जिला कार्यक्रम अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
37. „ नरेन्द्र तिवारी	जिला पूर्ति अधिकारी, सिद्धार्थनगर।
38. „ अश्वनी कुमार	नायब तहसीलदार, नौगढ़।
39. „ जयदीप दूबे	थानाध्यक्ष, इटवा।
40. „ शमसेर सिंह	थानाध्यक्ष, शोहरतगढ़।
41. „ अनिरुद्ध कुमार मिश्र	एल0बी0सी0 कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।
42. „ राजाराम	डी.एल.आर.सी. कलेक्ट्रेट सिद्धार्थनगर।

आज दिनांक 19.07.2017 को एण्टी भू-माफिया सम्बन्धी बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराया गया कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन राजस्व अनुभाग-2 लखनऊ एवं मा0 राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशानुसार गांवसभा/सरकारी भूमि/सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/ अतिक्रमण एवं भू-माफिया चिन्हित करने विषयक दिनांक 01.05.2017 से 30.06.2017 तक की समय सीमा व्यतीत हो चुका है। आप लोगों द्वारा गांवसभा/विभागीय भूमियों/सम्पत्तियों पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण के जो भी प्रकरण चिन्हित किये गये हैं, उन्हें शासन के निर्देशानुसार अब अवैध कब्जा मुक्त करने की कार्यवाही किया जाना है। उक्त के क्रम में अतिक्रमित भूमियों/सम्पत्तियों से कब्जा हटाना एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

समीक्षा बैठक के दौरान जनपद स्तर पर संकलित विभागवार/तहसीलवार प्राप्त विवरण पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रारूप-अ पर सभी तहसीलों से गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें जनपद में कुल 131.38 हे0 भूमि पर 4205 अवैध कब्जेदारों के प्रकरण चिन्हित किये गये हैं। प्राप्त सूचना में तहसील-नौगढ़ में चिन्हित गांवसभा की 28.253 हे0 भूमि पर 1008 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 4.680 हे0 भूमि पर 168 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-बांसी में चिन्हित गांवसभा की 14.893 हे0 भूमि पर 939 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 3.108 हे0 भूमि पर 335 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-डुमरियागंज में चिन्हित गांवसभा की 27.186 हे0 भूमि पर 812 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 2.768 हे0 भूमि पर 125 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसी प्रकार तहसील-इटवा में चिन्हित गांवसभा की 22.299 हे0 भूमि पर 525 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 1.038 हे0 भूमि पर 108 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं तथा तहसील-शोहरतगढ़ में चिन्हित गांवसभा की 38.753 हे0 भूमि पर 921 अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कब्जा किया गया है, जिनमें से 14.732 हे0 भूमि पर 126 अवैध कब्जेदारों से अवैध कब्जे हटाये गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी तहसीलों में अवशेष प्रकरणों से अवैध कब्जा हटाये जाने हेतु सभी उपजिलाधिकारी/तहसीलदार को निर्देशित किया गया। अवैध कब्जे से सम्बन्धित जिन प्रकरणों में किसी न्यायालय में वाद विचाराधीन है, उन वादों में पैरवी कर उनके निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इसके अतिरिक्त जिन प्रकरणों में कोई वाद लम्बित नहीं है, अर्थात् अवैध कब्जे के नये प्रकरण या कच्चे मकान बनाकर, झोपड़ी रखकर कब्जा किया गया है। ऐसे प्रकरण में अवैध कब्जेदारों को नोटिस देकर कब्जा हटवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

प्रारूप-ब पर शासकीय भूमि/सम्पत्ति पर विभागवार सूचना प्राप्त हुयी है, जिनमें लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड के अवैध कब्जेदारों की संख्या-32 है, ड्रेनेज खण्ड के अवैध कब्जेदारों की संख्या-314 है, पी0डब्लू0डी0 निर्माण खण्ड-1 तहसील-डुमरियागंज के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों की संख्या-803 है व तहसील इटवा के अन्तर्गत अवैध कब्जेदारों की संख्या 440 है।

पीडब्लूडी प्रान्तीय खण्ड तहसील शोहरतगढ़ के अन्तर्गत 57 अवैध कब्जेदारों के प्रकरण है। स्वास्थ्य विभाग में अवैध अतिक्रमण के 06 प्रकरण हैं। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत में अवैध अतिक्रमण के 05 प्रकरण हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अवैध अतिक्रमण के 63 प्रकरण हैं। चकबन्दी विभाग से सम्बन्धित अवैध कब्जे के 04 प्रकरण हैं। नगर पालिका परिषद सिद्धार्थनगर में 07 प्रकरण, नगर पालिका परिषद बांसी में 115 प्रकरण, नगर पंचायत शोहरतगढ़ में 18 प्रकरण एवं नगर पंचायत बढनी में 11 प्रकरण हैं। इनमें से तहसील-बांसी अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० निर्माण खण्ड-1 की 0.050 हे० भूमि पर अतिक्रमित, 10 अवैध कब्जे हटाये गये। तहसील-शोहरतगढ़ अन्तर्गत पी०डब्लू०डी० निर्माण खण्ड-1 की 0.013 हे० भूमि पर अतिक्रमित 01 अवैध कब्जे हटाये गये। तहसील-शोहरतगढ़ अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित 05 अवैध कब्जे हटाये गये। शेष सभी विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि अवैध कब्जे से सम्बन्धित जो भी नये प्रकरण कच्चे निर्माण झुग्गी-झोपड़ी, चाय अथवा पान की दुकान करके अवैध कब्जे किये गये हैं, उनके कब्जेदारों को नोटिस देकर शीघ्र अवैध कब्जे वाली भूमि/सम्पत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय। जिन प्रकरणों में राजस्व/दीवानी/मा. न्यायालयों में वाद विचाराधीन हैं, उसके अद्यतन स्थिति की सूचना उपलब्ध कराये तथा साथ ही साथ उन वादों में त्वरित गति से निस्तारण हेतु अपने स्तर से पैरवी सुनिश्चित कराये। यह भी निर्देशित किया गया कि अवैध कब्जे/अतिक्रमण के प्रकरण जो भी चिन्हित किये गये हैं, उनसे कब्जा हटवाने की कार्यवाही प्रत्येक दशा में सुनिश्चित की जाय। इसमें किसी भी प्रकार की उदासीनता न बरती जाय। नगर निकाय के अधिशासी अधिकारियों को जिन प्रकरण में पी.पी. एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा लम्बित है, उसमें तीव्र गति से पैरवी करने हेतु कड़े निर्देश दिये गये।

भू-माफिया चिन्हित करने विषयक विवरण पत्र के अवलोकन से पाया गया कि चिन्हित भूमाफिया तहसील बांसी में उनके कब्जे में 4.579 हे. भूमि पायी गयी, जिनमें से 2.128 हे. भूमि खाली करायी जा चुकी है। तहसील शोहरतगढ़ के भूमाफियाओं द्वारा 7.457 हे. भूमि पर अवैध कब्जा चिन्हित किया गया था, जिनमें समस्त भूमियों से अवैध कब्जा हटवाते हुये भूमि खाली करायी जा चुकी है। शेष तहसीलों नौगढ़, डुमरियागंज व इटवा के उपजिलाधिकारीगण/अन्य सम्बन्धित विभागीय अधिकारीगण को निर्देशित किया गया कि भूमाफियाओं के कब्जे वाली भूमि/सम्पत्ति को शीघ्र अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही की जाय। अवैध अतिक्रमण/कब्जा हटाने में जहाँ शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो, ऐसे प्रकरण में पत्राचार करके आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था पूर्व में सुनिश्चित करके कार्यवाही की जाय। यह भी ध्यान रहें कि गांव सभा की भूमि/सम्पत्ति, राजकीय भूमि/सम्पत्ति से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने तथा भूमाफिया के विरुद्ध कार्यवाही करने में शांति व्यवस्था भी सुनिश्चित रखें।

समीक्षा बैठक के दौरान अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सभी उपजिलाधिकारी, नगरीय क्षेत्र से सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारी एवं सभी अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत को यह निर्देशित किया गया कि गांवसभा, नगरीय क्षेत्र की भूमियों/सम्पत्तियों एवं राजकीय भूमियों/सम्पत्तियों एवं चिन्हित भू-माफियाओं के अवैध कब्जे वाली भूमियों/सम्पत्तियों पर से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने हेतु विशेष अभियान चलाये जाने हेतु आप लोगों को पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अभियान हेतु दिनांक 25.07.2017 प्रातः 8.00 बजे से तिथि नियत की गयी है। उक्त तिथि से पूर्व आप लोग पुलिस विभाग के अधिकारी से (क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष) से सम्पर्क स्थापित कर, कार्यक्रम निर्धारित कर कार्ययोजना तय कर लें। सभी विभागीय अधिकारी, सम्बन्धित उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी व थानाध्यक्ष से सम्पर्क स्थापित कर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने विषयक कार्यक्रम तय कर लें, यदि कहीं अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने में कोई बाधा आने की या शांति भंग की आशंका हो तो आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी ध्यान रहे कि चिन्हित अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने के सम्बन्ध में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया गया कि तहसीलदार/तहसीलदार (न्यायिक) के न्यायालयों में जहाँ धारा-122 बी/115 सी के मुकदमों में बेदखली के आदेश हो गये हैं, परन्तु उनमें मौके पर निष्पादन की कार्यवाही जैसे मौके से अवैध कब्जे हटाने, क्षतिपूर्ति वसूलने की कार्यवाही लम्बित है। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित कर एक तिथि तय कर लें, और उसके लिये भी एक अभियान चलाकर अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाय। अवैध कब्जे/अतिक्रमण हटाने, चिन्हित भूमाफिया के विरुद्ध की गयी कार्यवाही की सूचना भेजने हेतु शासन द्वारा प्रारूप अ, प्रारूप ब, प्रारूप स निर्धारित है। सभी विभागाध्यक्ष अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुये शासन के इस महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करें तथा निर्धारित प्रारूप पर कृत कार्यवाही की सूचना साप्ताहिक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अन्त में समीक्षा बैठक में उपस्थित सभी अधिकारी/कर्मचारी से एण्टी भूमाफिया विषयक जारी शासनादेश/परिषदादेश में दिये गये निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। तत्पश्चात अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी को धन्यवाद देते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(कुणाल सिल्कू)
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

पत्रांक 1359 (23) डी.एल.आर.सी./2017-18/दिनांक 21 जुलाई, 2017
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, अनुभाग-5, लखनऊ।
2. पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर।
3. अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) सिद्धार्थनगर।
4. समस्त उपजिलाधिकारी जनपद-सिद्धार्थनगर।
5. समस्त क्षेत्राधिकारी जनपद-सिद्धार्थनगर।
6. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

21/7/17
जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर।

1359 (23) / 022017

6

D-1-0-

H-1-C

13/0007